विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय है जिसमें सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर- सा क्षे उ); राजस्व क्षेत्र और सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ) से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है। इसमें ₹ 282.49 करोड़ के निर्मल भारत अभियान, लघु खनिकर्मों की प्राप्तियों और मोटर वाहन करों का आरोपण एवं संग्रहण पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 24 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर- सा क्षे उ)

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 12,334 करोड़ से बढ़कर ₹ 20,206 करोड़ हो गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2009-10 में ₹ 10,657 करोड़ से 2013-14 में 52 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 16,216 करोड़ हो गया। वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 61 *प्रतिशत* वृद्धि के साथ ₹ 8,358 करोड़ से ₹ 13,449 करोड़ और पूँजीगत व्यय 125 *प्रतिशत* वृद्धि के साथ ₹ 1,647 करोड़ से ₹ 3,712 करोड़ हो गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा

निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गयी थी। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

- ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर को निर्विष्ट (इनपुट) देने वाले खण्ड ससांधन केन्द्रों (बी आर सी) के स्थापित न होने के कारण वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार करने में ऊर्ध्वमुखी उपागम (बाटम अप एप्रोच) को नहीं अपनाया गया।

[प्रस्तर 1.2.6.2]

- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा ज स्व मि) द्वारा जिलों को एक मुश्त आधार पर किसी घटकवार-ब्यौरे साथ ही साथ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को अंश दिये बिना निधियाँ अवमुक्त की जा रही थीं। परिणामस्वरूप, इस योजना के अन्तर्गत अवमुक्त निधियों में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के वास्तविक अंश का जिलों ने किसी भी प्रकार के अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया।

[प्रस्तर 1.2.7.1]

- नमूना जांच जिलों में ग्रा प को अवमुक्त ₹ 20.92 करोड़ की निधियों की पावती नहीं ली गयी थी।

[प्रस्तर 1.2.7.6]

- चयनित जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की उपलब्धियों में कुल मिलाकर 40 से 52 *प्रतिशत* तक की कमी थी।

[प्रस्तर 1.2.8.1]

- खुले में शौच, गलियों में कूड़ा करकट फेंकना, जाम नाले, विद्यालयों के समीप खुले में मूत्र विसर्जन इत्यादि के आधार पर वर्ष 2009-11 के दौरान निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु भारत सरकार द्वारा ग्राम पचांयतों के 81 *प्रतिशत* आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया। जो कि यह प्रदर्शित करता है की दिशा निर्देशों के अनुसार, निर्मलग्राम पुरस्कार के लिए संबंधित आवेदनों का प्रसंस्करण करने के पूर्व उचित रूप से सत्यापन नहीं किया गया।

[प्रस्तर 1.2.9.1]

- नमूना जाँच जिलों में, विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई इ सी) गतिविधियों के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में 33 से 81 *प्रतिशत* की कमी थी और कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई थी।

[प्रस्तर 1.2.10]

अनुपालन लेखापरीक्षा

कैदियों को उपलब्ध करायी गयी सुविधायें

राज्य के 13 जिलों में से छः जिलों में कोई भी जेल क्रियाशील नहीं है। इन छः जिलों में स्थित न्यायालयों में विचाराधीन कैदियों के आवागमन पर विगत तीन वर्षों के दौरान धनराशि ₹ 88.05 लाख व्यय किये गये। नमूना परीक्षित दस जेलों में रखे गये 3,583 कैदियों में से 2,810 कैदी (78.43 *प्रतिशत*) सिर्फ तीन जेलों में रखे गए थे। 1,061 पदों की स्वीकृत छमता में से केवल 294 पदों को भरा गया। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में, जेल प्रशासन को पिछले तीन वर्षों में चिकित्सा उपचार तथा कैदियों के आवागमन पर ₹ 38.88 लाख व्यय करने पड़े।

[प्रस्तर 1.7]

उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा जल प्रभारों का संग्रहण

31 मार्च 2014 को ₹ 77.23 करोड़ की धनराशि के बकाया अदेय था। इसमें से ₹ 1.07 करोड़ 1,768 संयोजनों के सापेक्ष थी जो कि अब परित्यक्त घरों में उपलब्ध थे, ₹ 3.33 करोड़ विभिन्न सरकारी विभागों के 1,730 संयोजनों के सापेक्ष तथा ₹ 1.24 करोड़ विभिन्न सरकारी परिसरों के 1,180 संयोजनों के सापेक्ष थे। संस्थान ने 1,557 उपभोक्ताओं के सापेक्ष जल प्रभारों की मांग न करने के कारण ₹ 1.36 करोड़ की हानि वहन की। संस्थान ने दोषी उपभोक्ताओं की जलापूर्ति संयोजन विच्छेदन न करने के कारण ₹ 16 लाख की हानि भी वहन की।

[प्रस्तर 1.11]

बालिकाओं के संरक्षण एवं कल्याण हेतु कार्यान्वित योजनाएं

नन्दा देवी कन्या योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में धनराशि ₹ 46.80 लाख का अधिक व्यय किया जाना प्रतिवेदित किया और इसे अभ्र्यपण के स्थान पर पी एल ए खाते में रखा गया और 365 कन्या शिशु जिनका जन्म घर पर हुआ था, को ₹ 18.25 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के अंत में धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी 1,266 स्वीकृत मामले भुगतान हेतु लम्बित थे। राज्य सरकार को कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण करने में समय और लागत में वृद्धि के कारण धनराशि ₹ 2.57 करोड का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

[प्रस्तर 1.14]

नगर निगम हरिद्वार का वित्तीय प्रबंधन

व्यय का अवास्तविक उच्चतर बजट आगणन बनाने के कारण नगर निगम वर्ष 2010-14 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ₹ 17 करोड़ की सीमा तक की निधियों का उपभोग नहीं कर सका। वर्ष 2001 से ₹ 82 लाख की धनराशि का उपभोग नहीं किया जा सका, जिसका उपयोग ऐसे कार्यों पर होना था, जिससे आय का सृजन

हो सके। नयी विज्ञापन नीति के अनुमोदन के अभाव में वर्ष 2001 से विज्ञापन कर की दरों को संशोधित नहीं किया गया। फूल विक्रेता से 'फूल फरोशी प्रभार' एवं फेरी वालों से 'तहबाजारी' वसूलने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 2.16 करोड़ का राजस्व छोड़ दिया गया।

[प्रस्तर 1.15]

सौर ऊर्जा कार्यक्रम का क्रियान्वयन

अभिकरण ने सौर फोटो वॉल्टाइक कार्यक्रम के लाभार्थियों से सेवा प्रभार के रूप में ₹ 66.71 लाख का अनियमित संग्रहण किया था। सौर स्ट्रीट लाइटों पर ₹ 10.61 लाख का व्यय निरर्थक हो गया था क्योंकि लाइटें वारंटी अवधि के अन्दर अक्रियाशील पायी गई थीं और उन्हे दुरूस्त नहीं किया गया था। वर्ष 2009 से ₹ 10.63 लाख के सौर उपकरण अवितरित पड़े थे। ₹ 13.15 लाख की सौर बैटरियाँ, उनकी अधिप्राप्ति के वर्ष (जनवरी 2011) से ही निष्क्रिय पड़ी थीं।

[प्रस्तर 1.16]

सेवा प्रदाताओं को अनुचित लाभ

सेवा मानकों में कमी के लिए सेवा प्रदाताओं के भुगतान में से कटौती का कोई प्रावधान न होने के कारण सेवा प्रदाताओं को ₹ 4.54 करोड़ का अनुचित लाभ।

[प्रस्तर 1.10]

परिहार्य व्यय

हाल ही में निष्पादित सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट कार्य पर 25 मिमी मोटाई के एक समानक कारक को ध्यान में न रखते बिटुमिनस मैकडम का कार्य निष्पादित कराये जाने के परिणामतः ₹ 55.50 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

[प्रस्तर 1.12]

राजस्व क्षेत्र

अनुपालन लेखापरीक्षा

मूल्यवर्धित कर का गलत दर लागू करने के कारण न्यूनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर को गलत दर लागू करने के फलस्वरूप ₹ 16.32 लाख कर का न्यूनारोपण हुआ।

[प्रस्तर 2.3]

घोषणा प्रपत्र का अनधिकृत उपयोग

मान्यता प्रमाणपत्र के प्रभावी तिथि के पूर्व के संव्यवहार हेतु प्रपत्र-XI घोषणा प्रपत्र का अनधिकृत उपयोग किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.62 लाख राजस्व की हानि तथा ₹ 55.68 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

[प्रस्तर 2.4]

निष्पादन लेखापरीक्षा

मोटर वाहन पर करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

- 2013-14 में मोटर वाहन स्वामियों से ग्रीन उपकर के रुप में ₹ 4.09 करोड़ की वसूली के बाद भी राज्य शहरी परिवहन कोष की स्थापना न किया जाना।

[प्रस्तर 2.6.7.1 (ii)]

- वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 के दौरान 136 व्यापारियों द्वारा 1,14,225 वाहनों की बिक्री के प्रकरण में ₹ 43.88 लाख का व्यापार कर एवं ₹ 16.27 लाख का अर्थदण्ड वसूल न किया जाना।

[प्रस्तर 2.6.7.2(i)]

- 379 प्रकरणों में परमिट के नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरुप ₹ 13.96 लाख का नवीनीकरण शुल्क वसूल न होना।

[प्रस्तर 2.6.7.3(ii)]

- उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेटों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण करारकर्ता से ₹ 1.13 करोड़ का अर्थदण्ड वसूल न किया जाना।

[प्रस्तर 2.6.8.2]

उप-खनिजों से प्राप्तियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

- प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम एवं उपयोग के अनुश्रवण हेतु नियंत्रण तंत्र नहीं था।

[प्रस्तर 2.7.8.1]

- रॉयल्टी के कम भुगतान का पता नहीं लगाने एवं दरों के त्रुटिपूर्ण विनियोग के परिणामतः 14 प्रकरणों में ₹ 6.38 करोड़ के कम राजस्व की वसूली हुई।

[प्रस्तर 2.7.9.1 एवं 2.7.9.2]

- विभाग द्वारा ऐसे ईंट भट्ठों जिन्होंने अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं किया था, के अभियान में विफलता के परिणामतः 782 प्रकरणों में ₹ 5.88 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.7.9.3]

- पट्टा विलेखों के पंजीकरण में विलम्ब/नहीं कराने के परिणामतः 14 प्रकरणों में ₹ 4.08 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं हुई।

[प्रस्तर 2.7.10.1]

आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ)

अनुपालन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, पंतनगर द्वारा प्रमाणित गेहूँ के बीज का विपणन

19.95 लाख कुन्तल उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष उत्पादकों से गेहूँ बीजों का वास्तविक अंतः ग्रहण केवल 15.45 लाख कुन्तल ही रहा। वितरक कमीशन को विक्रय एवं वितरण व्यय के स्थान पर क्रय मूल्य का भाग बनाने के कारण कम्पनी ने ₹ 0.73 करोड़ का अतिरिक्त डीलर कमीशन का भुगतान किया एवं कमीशन का भुगतान अधिक दर से करने के कारण कम्पनी द्वारा ₹ 0.30 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी किया गया। दोषी वितरकों की अग्रिम जमा धनराशि जब्त न करने के कारण कम्पनी को ₹ 1.37 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

[प्रस्तर 3.2]

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ट्रांसफॉर्मरों का प्रबन्धन

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास ट्रांसफॉर्मरों की आवश्यकता का आकलन करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कोई भी लिखित नीति नहीं है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान आन्तरिक लक्ष्य की तुलना में विभिन्न क्षमताओं के 13,319 ट्रांसफॉर्मर, जिनका मूल्य ₹ 121.99 करोड़ था, अधिक क्षतिग्रस्त हुए तथा 151 ट्रांसफॉर्मर, जिनका मूल्य ₹ 1.03 करोड़ था, लाइटनिंग अरेस्टर न लगाये जाने के कारण क्षतिग्रस्त हुए। यू पी सी एल ने अपनी वर्कशॉप के अल्प उपयोग के कारण ₹ 63.23 लाख का अतिरिक्त व्यय किया तथा 509.31 किलोलीटर ट्रांसफॉर्मर तेल, जिसकी कीमत ₹ 76.40 लाख थी, क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों से कम पाया गया।

[प्रस्तर 3.3]

12 *प्रतिशत* रॉयल्टी का दावा न किया जाना

यू पी सी एल की ओर से निः शुल्क विद्युत के रूप में रॉयल्टी लगाने के प्रयासों की कमी के कारण राज्य ₹ 3.91 करोड़ की 12 *प्रतिशत* निः शुल्क ऊर्जा (17.32 मिलियन यूनिट) से वंचित रहा।

[प्रस्तर 3.4]

उपभोक्ता को अनुचित लाभ

निरन्तर विद्युत आपूर्ति के लिए 15 *प्रतिशत* अतिरिक्त अधिभार का आरोपण न करके यू पी सी एल ने उपभोक्ता को ₹ 2.12 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।

[प्रस्तर 3.5]